रमनी कुनानायगम
अध्यक्ष
निरीक्षण दल

IPN REQUEST 22/01
20 अप्रैल, 2022

कार्यकारी निदेशकों को ज्ञापन
इंटरनैशनल बैंक फौर रीकंस्ट्रक्शन ऐंड डैवलपमैंट

निरीक्षण के लिए अनुरोध

भारत: विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (VPHEP) (P096124)
(निरीक्षण के लिए दूसरा अनुरोध)

गैर पंजीकरण की सूचना

संक्षिप्त विवरण

1. निरीक्षण दल ("पैनल") के संकल्प[1] के पैराग्राफ 18 के अनुसार, मैं आपको सूचित करता हूँ कि 1 मार्च, 2022 को, पैनल को विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (P096124) (VPHEP या "प्रोजेक्ट") के निरीक्षण के लिए अनुरोध ("अनुरोध") प्राप्त हुआ था। यह परियोजना से संबंधित दूसरा अनुरोध है। पैनल ने पहले 2014 में निरीक्षण के पहले अनुरोध के जवाब में परियोजना की जाँच की थी।

2. अनुरोध चमोली जिले, उत्तराखंड में रहने वाले 34 समुदाय सदस्यों ("अनुरोधकर्ता") द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुरोधकर्ताओं ने तीन व्यक्तियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था और पैनल से उनकी पहचान गोपनीय रखने को कहा। 17 अप्रैल, 2022 को, पैनल को अनुरोध का समर्थन करने वाले अतिरिक्त हस्ताक्षर प्राप्त हुए, जिससे कुल अनुरोधकर्ताओं की संख्या 115 समुदाय सदस्यों तक पहुँच गई। अनुरोधकर्ता आजीविका के पुनःस्थापन व पुनर्वास, समुदाय में भावना की कमी, भौतिक सांस्कृतिक विरासत के विनाश, पारंपरिक सांस्कृतिक ज्ञान और धार्मिक पहचान की क्षति, प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कूड़ा-करकट फेंकने से प्रतिकूल प्रभाव, प्रासंगिक पर्यावरणीय मंज़ूरियों, और धमकी और प्रतिशोध जैसे मुद्दों के बारे में चिंताएँ जता रहे हैं।

3. पैनल को जुलाई 2012 में चमोली जिले, उत्तराखंड के निवासियोंसे VPHEP के निरीक्षण के लिए एक पूर्व अनुरोध प्राप्त हुआ था। पैनल ने तब इस परियोजना की जाँच की थी और कार्यकारी निदेशक मंडल ("बोर्ड") को अपनी जाँच की रिपोर्ट[2] 1 जुलाई 2014 ("2014 जाँच" या "जाँच") को प्रस्तुत की थी।

---

[1] विश्व बैंक निरीक्षण पैनल, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, संकल्प संख्या आईबीआरडी 2020-0004, 8 सितंबर, 2020 ("संकल्प")। यहाँ उपलब्ध: https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/InspectionPanelResolution.pdf.

[2] निरीक्षण दल, भारत विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना जाँच रिपोर्ट, 1 जुलाई 2014। यहाँ उपलब्ध: https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/ip/PanelCases/81%20-%20Investigation%20Report%20%28English%29.pdf.

30 सितंबर 2014 को, बोर्ड ने पैनल की जाँच रिपोर्ट के जवाब में प्रस्तुत प्रबंधन रिपोर्ट और अनुशंसा[3] में शामिल कार्य योजना को मंज़ूरी दी।

4. मौजूदा अनुरोध पर अपना समीक्षा करने के बाद, पैनल ने ध्यान दिया कि इस अनुरोध में उठाई गई चिंताएँ 2014 में, जब पैनल को पिछला अनुरोध प्राप्त हुआ था, वह पहले से ही जाँचें गए मुद्दों से संबंधित हैं । इसलिए, जैसा कि निरीक्षण पैनल संकल्प के तहत आवश्यक है, उन्हें नए साक्ष्य के रूप में जो पूर्व अनुरोध के समय ज्ञात नहीं थे, नहीं माना जा सकता है। इसके आधार पर, पैनल इस अनुरोध को पंजीकृत नहीं कर रहा है।

परियोजना

5. VPHEP को 30 जून, 2011 को 922 मिलियन अमरीकी डालर की कुल परियोजना लागत के लिए अनुमोदित किया गया था। इंटरनैशनल बैंक फौर रीकंस्ट्रक्शन ऐंड डैवलपमैंट ("बैंक") कुल परियोजना लागत का 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण कर रहा है और उधारकर्ता, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("THDC") जो कार्यान्वयन एजेंसी भी है, 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कर रहा है। मूल राशि से प्रत्येक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो रद्दीकरण के बाद, मौजूदा बैंक वित्तपोषण राशि 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। परियोजना की मौजूदा समापन तारीख 30 जून, 2022 है। ये एक कैटेगरी A परियोजना है, और निम्न सुरक्षा नीतियाँ चालू की गईं हैं: पर्यावरण आंकलन (ओपी 4.01); प्राकृतिक आवास (ओपी 4.04); भौतिक सांस्कृतिक संसाधन (ओपी 4.11); अनैच्छिक पुनर्वास (ओपी 4.12); वन (ओपी 4.36); बाँधों की सुरक्षा (ओपी 4.37); और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर परियोजनाएँ (ओपी 7.5)। अनुरोध प्राप्त होने के समय परियोजना वित्तपोषण 35.21 प्रतिशत वितरित किया गया था।

6. इस परियोजना विकास के उद्देश्य हैं "*(अ) रिन्यूएबल, कम-कार्बन ऊर्जा को मिलाकर भारत के राष्ट्रीय ग्रिड में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि; और (आ) आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ जल विद्युत परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में उधारकर्ता की संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना।*"[4] इस परियोजना के दो घटक हैं। पहला घटक चमोली जिले, उत्तराखंड, भारत में 444-मेगावॉट की परियोजना का निर्माण करना है। दूसरा घटक THDC में क्षमता निर्माण और संस्थागत मज़बूती के लिए सहायता प्रदान करना है। इस अनुरोध में उठाए गए मुद्दे परियोजना के पहले घटक से संबंधित हैं।

अनुरोध

[3] निरीक्षण दल जाँच रिपोर्ट के जवाब में विश्व बैंक, प्रबंधन रिपोर्ट और सिफ़ारिश भारत विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (ऋण संख्या 8078-आईएन), 13 अगस्त 2014। यहाँ उपलब्ध: https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/ip/PanelCases/81%20-%20Management%20Report%20and%20Recommendation%20%28English%29.pdf.

[4] विश्व बैंक, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (पीएडी) के लिए भारत गणराज्य की गारंटी के साथ टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में प्रस्तावित ऋण पर परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज़, 10 जून, 2011, p. vi. यहाँ उपलब्ध: https://documents1.worldbank.org/curated/en/825981468044349058/pdf/502980PAD0P0960e0only0900BOX361487B.pdf.

7. पैनल को परियोजना के परिणामस्वरूप गंभीर नुकसान का दावा करने वाले 34 समुदाय सदस्यों से 1 मार्च, 2022 को निरीक्षण के लिए यह अनुरोध प्राप्त हुआ। 17 अप्रैल, 2022 को, पैनल को अनुरोध का समर्थन करने वाले अतिरिक्त हस्ताक्षर प्राप्त हुए, जिससे कुल अनुरोधकर्ताओं की संख्या 115 समुदाय सदस्यों तक पहुँच गई। अनुरोधकर्ताओं ने गोपनीयता की माँग की और अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु तीन व्यक्तियों को अधिकृत किया। अनुरोधकर्ता चमोली जिला, उत्तराखंड में परियोजना-प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। अनुरोध में उठाए गए कथित वास्तविक और संभावित नुकसान का विवरण नीचे प्रस्तुत है।

8. **पुनःस्थापन व आजीविका पुनर्वास।** अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि "*वैकल्पिक संरेखण या डिज़ाइन संशोधनों*" की खोज करने के प्रयास नहीं किए गए थे। उनका दावा है कि पुनःस्थापन पर समझौते के समय सार्थक परामर्श और परियोजना से संबंधित जानकारी को उनकी समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत नहीं की गई थी। अनुरोधकर्ताओं ने आगे ये भी आरोप लगाया कि अधिग्रहण और पुनर्वास समझौता "*धोखाधड़ी*" था, और इस पर केवल नौ ग्रामीणों और तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो समुदाय के प्रतिनिधि नहीं थे। वे कहते हैं कि उनकी भूमि को एक कूड़ेदान क्षेत्र के रूप में अधिग्रहित किया गया है, और उनका आरोप है कि ग्रामीणों को पुनःस्थापन के लिए अपर्याप्त मूल्यांकन और मुआवज़े की राशि के रूप में एक मौद्रिक पैकेज दिया गया था। उनका दावा है कि उन्हें अमरूद, आम, लीची, कटहल, नींबू, खट्टे, आदि फल देने वाले पेड़ों का नुकसान हुआ, जो सदियों से उच्च आय का एक स्थायी स्रोत थे। उनका ये भी दावा है कि उन्हें अपनी चराई भूमि और जंगल, पशुपालन, ईंधन संग्रह और घास काटने से अलग कर दिया गया है। उनका दावा है कि ये कार्य अब बहुत ज़्यादा श्रमसाध्य और मुश्किल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएँ अब और ज़्यादा शारीरिक श्रम से पीड़ित हैं। वे कहते हैं कि "*सांप्रदायिक और सामाजिक भागीदारी में कमी*" के कारण उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है।

9. अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें "*खुद को बचाने व खुद को स्थानांतरित करने के लिए छोड़ दिया गया था।*" इस तरह, उनके अनुसार, लगभग 124 परिवार आस-पास के क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि इससे समुदाय, विरासत, पारंपरिक ज्ञान और घनिष्ठ सामाजिक-कल्याण का अपूरणीय नुकसान हुआ है। अनुरोधकर्ताओं का ये भी दावा है कि ग्रामीणों के यहाँ-वहाँ बिखरे हुए स्थानांतरण के कारण अनुसूचित जनजाति, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, और जो बाकी समुदाय की ज़मीन पर काम करते थे, रोज़गार का अपना वो एक अवसर भी खो चुकी है।

10. अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि 22 सितंबर, 2021 को टीएचडीसी ने 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की मदद से कुछ ग्रामीणों के घरों में ज़बरदस्ती घुसकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया और उनके घरों को तहस-नहस कर दिया। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि इस घटना का विरोध करने वाली एक विधवा सहित कुछ ग्रामीणों को पुलिस थाने में बंद कर दिया गया था। अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपने मकान खाली करने के लिए कई नोटिस मिले थे, लेकिन "*किसी को कोई ख़ास तौर से चिंता नहीं थी क्योंकि पिछले कुछ सालों उन्हें इस तरह के नोटिस आए दिन मिलते रहते थे।*" अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि परियोजना का काम केवल 2014 में "*छिटपुट और बेतरतीब तरीके से*" शुरू हुआ था, हालाँकि पुनःस्थापन समझौता 2009 में किया गया था, और ये भी कि सितंबर 2021 को जबरन बेदखली करना अनुचित था।

11. **बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा संबंधित स्थितियाँ।** अनुरोधकर्ता पानी की आपूर्ति, बुनियादी ढाँचे की कमी और पुनःस्थापन के स्थानों पर सुरक्षा की स्थितियों से चिंतित हैं। उनका आरोप है कि

पुनःस्थापन के कारण उनका जीवन और आजीविका खराब हो गई है, जिससे महिलाओं की स्थिति ख़ास तौर से और खराब हो गई है।

12. **भौतिक सांस्कृतिक संसाधन।** अनुरोधकर्ताओं ने भौतिक और सांस्कृतिक विरासत के विनाश, और उनके सांस्कृतिक और पारंपरिक ज्ञान और धार्मिक पहचान के नुकसान का आरोप लगाया है। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, उनका गांव लक्ष्मी नारायण मंदिर ("मंदिर") के आसपास बनाया गया था, जिसका निर्माण आठवीं और नौवीं शताब्दी के बीच हुआ था। वे कहते हैं कि मंदिर उन तीर्थयात्रियों के लिए पूजा का एक वैकल्पिक स्थान था जो बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाते थे, और इस प्रकार वो एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल बन गया था। वे कहते हैं कि उस मंदिर के आसपास अन्य देवताओं वाले मंदिरों के समूह भी मौजूद हैं। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, उस प्राचीन मंदिर और उसके चारों ओर मौजूद छोटे-छोटे मंदिरों के समूह ने उनकी पहचान और उनका केंद्र बिंदु निर्धारित किया था। उनका आरोप है कि इस परियोजना के कारण "*हमारे गांव का सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व छुप गया औरदब गया*।" अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि फिलहाल मंदिर के ठीक बगल में मलबा डाला जा रहा है। अनुरोधकर्ताओं के साथ पैनल की चर्चा के दौरान, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि मंदिर से कीचड़ को अलग करने वाली दीवार ढह जाएगी, जिसके कारण मंदिर और आसपास के अन्य मंदिर पानी में डूब जाएँगे।

13. **पर्यावरणीय समाशोधन।** अनुरोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएचडीसी ने मई 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को "*एक झूठा दावा*" किया कि इस परियोजना ने एक नई पर्यावरणीय समाशोधन हेतु "*उचित जन सुनवाई प्रक्रिया*" से बचने के लिए 51 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि 18 मार्च, 2021 की MoEFCC अधिसूचना के तहत, एक नई पर्यावरणीय समाशोधन हेतु 50 प्रतिशत से कम भौतिक प्रगति वाली परियोजनाओं के लिए उचित जन सुनवाई की आवश्यकता है। अनुरोधकर्ता राज्य MoEFCC ने अगस्त 2021 में VPHEP को एक नया पर्यावरणीय समाशोधन प्रदान किया।

14. **डराने-धमकाने और मारपीट के आरोप।** अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें खतरा महसूस होता है और वे परियोजना के संबंध में मुद्दों को उठाने से डरते हैं। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि THDC के प्रत्येक कर्मचारी को एक हलफ़नामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था जिसमें कहा गया था कि यदि वे या उनके परिवार के सदस्यों ने परियोजना का विरोध किया तो वे अपनी नौकरी खो देंगे। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, पहले भी जिन लोगों ने आवाज़ उठाई या विरोध किया था, उनकी नौकरियाँ चली गईं, और परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ अब भी 50 पुलिस मामले दर्ज हैं।

पैनल का यथोचित परिश्रम

15. अपनी संचालन प्रक्रियाओं के तहत,[5] अनुरोध प्राप्त करने के बाद, पैनल ने 15 मार्च, 2022 को अपनी वेबसाइट पर रसीद का नोटिस जारी किया। पैनल ने अनुरोध में निहित जानकारी के साथ-साथ पैनल की जाँच रिपोर्ट और पिछले अनुरोध से संबंधित अन्य दस्तावेज़ों की समीक्षा करके अपना यथोचित परिश्रम किया। पैनल ने 30 मार्च, 2022 को अनुरोधकर्ताओं से उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और 7 अप्रैल, 2022 को बैंक प्रबंधन ("मैनेजमेंट") के साथ बातचीत की। 12 अप्रैल, 2022 को, पैनल के प्रश्नों के उत्तर में, मैनेजमेंट ने अतिरिक्त लिखित जानकारी प्रदान की।

[5] निरीक्षण पैनल संचालन प्रक्रिया, अप्रैल 2014।

16. **पुनःस्थापन व आजीविका पुनर्वास।** मैनेजमेंट ने पैनल को सूचित किया कि 2011 में OP 4.12 के अनुरूप सर्वोपरि अधिकार (eminent domain) के ज़रिये गांव का अधिग्रहण किया गया था, और गांव के प्रतिनिधियों ने एक सामूहिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 140 में से 125 परिवारों ने अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, और नौ परिवार राज्य के मुआवज़े के लिए भी सहमत हुए। पेश किए गए पुनःस्थापन पैकेज में आजीविका पुनर्वास उपाय शामिल थे। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि समुदाय ने खुद अपने पसंदीदा क्षेत्रों में स्व-स्थानांतरण का विकल्प चुना।

17. मैनेजमेंट ने कहा कि छह परिवारों ने अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और उनसे मिलने वाले सारी मुआवज़े की राशि 2011 से जिला प्रशासन के पास THDC द्वारा जमा की जा रही थी। मैनेजमेंट ने पैनल को सूचित किया कि THDC ने 2015 से 2021 के बीच इन छह परिवारों को अपना मुआवज़ा लेने और अपने घर खाली करने के लिए पाँच व्यक्तिगत नोटिस, साथ ही एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए। मैनेजमेंट ने बताया कि सितंबर 2021 में जिला प्रशासन द्वारा संरचनाओं को तहस-नहस कर दिया गया था। मैनेजमेंट के अनुसार, उजाड़ के समय छह में से केवल दो घरों में लोग रहते थे। शेष दो निवासियों को THDC द्वारा आवास प्रदान कर दिया गया है। मैनेजमेंट के अनुसार, सभी निवासियों, जिनके ढाँचों को तहस-नहस कर दिया गया था, के सामानों को सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और सुरक्षित रखने के लिए THDC को सौंप दिया गया था। THDC ने सभी घरवालों को नोटिस भेजा है कि वे अपना सामान लेकर जा सकते हैं।

18. मैनेजमेंट ने कहा कि उनकी अंतिम-अवधि मूल्यांकन रिपोर्ट में आम तौर पर विस्थापित परिवारों में बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति पाई गई, और समग्र गिरावट का कोई संकेत नहीं है। मैनेजमेंट ने आगे ये भी कहा कि परियोजना दाना-पानी के नुकसान को कम करने के उपायों को लागू कर रही है, और प्रत्येक प्रभावित परिवार को नकद वार्षिकी प्रदान की जाती है।

19. **भौतिक सांस्कृतिक संसाधन।** मैनेजमेंट ने शुरू में कहा था कि कथित मंदिर को एक रक्षात्मक दीवार से सुरक्षित किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके ऊपर और पीछे होने वाले कार्यों से उसे नुकसान न पहुँचे। उसने आगे और स्पष्ट किया कि मंदिर के पीछे की दीवार का उद्देश्य सड़क के लिए एक सहायक संरचना के रूप में काम करना है और यह कि वो कूड़ा-करकट जमा करने के लिए एक रिटेनिंग वॉल नहीं है, और यह कि दीवार के पीछे कोई भी कूड़ा-करकट नहीं डाला जाता है। इस अनुरोध को प्रस्तुत करने के बाद, मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि चूंकि गांव के क्षेत्र को पर्यावरणीय समाशोधन के अनुसार एक कचरा निपटान स्थल के रूप में नामित किया गया है, टीएचडीसी मंदिर से और ज़्यादा दूरी पर कूड़ा-करकट फेंकने के लिए गांव के अंदर अन्य वैकल्पिक स्थलों ढूँढेगा। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि उसने टीएचडीसी को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा है जहाँ मंदिर से और ज़्यादा दूरी पर गांव में कूड़ा-करकट फेंका जा सकता है।

20. मैनेजमेंट ने कहा कि मंदिर के पास मौजूद भूमि को अंततः उचित भूनिर्माण के साथ दुबारा हरा-भरा किया जाएगा। पैनल के साथ विचार-विमर्श के दौरान, मैनेजमेंट ने वर्धित मंदिर क्षेत्र का एक लेआउट प्लान प्रस्तुत किया। निजी घरों में छोटे मंदिरों और मंदिरों के संबंध में, मैनेजमेंट ने कहा कि पुनःस्थापन प्रक्रिया के दौरान वे समुदाय द्वारा स्थानांतरित कर दिए गए थे। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि गांव के अन्य छोटे सामुदायिक मंदिरों की रक्षा की जाएगी, और ये कि पर्यावरण प्रबंधन योजना ने गांव के

मंदिरों के विकास के लिए फंड्स का बजट बनाया है और यदि आवश्यक हो तो टीएचडीसी पूरक फंड्स उपलब्ध कराने को तैयार है।

21. **बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा संबंधित स्थितियाँ।** मैनेजमेंट ने कहा कि THDC ने सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण किया, जैसे कि ग्राम पंचायत[6], एक स्कूल बिल्डिंग, रास्ते, बिजली और पानी की आपूर्ति। मैनेजमेंट ने पैनल को सूचित किया कि THDC छह-महीने के अंतराल पर सभी परियोजना प्रभावित गांवों में पानी की आपूर्ति की नियमित रूप से मॉनिटर करता है। आखरी बार जनवरी 2022 में मॉनिटर किया गया था। मैनेजमेंट ने कहा कि THDC ने नई पुनःस्थापन कॉलोनियों में एक पाइप वाली जलापूर्ति प्रणाली का निर्माण किया है और उसका संचालन कर रहा है और यदि कोई रिकॉर्ड किया गया प्राकृतिक जल स्रोत परियोजना के कार्यान्वयन के कारण सूख जाता है, तो आपात स्थिति में वो पानी के टैंकरों के साथ-साथ वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

22. **पर्यावरणीय समाशोधन।** मैनेजमेंट ने पैनल को सूचित किया कि पर्यावरणीय समाशोधन के एक्सटेंशन के समय, सिविल कार्यों का पूरा होना 37 प्रतिशत पर था और परियोजना स्थल पर सभी कार्यों का समग्र समापन - जिसमें सिविल, साइटों, बुनियादी ढाँचे, हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की स्थापना और अन्य शामिल हैं - 53 प्रतिशत था। पर्यावरणीय समाशोधन और इसका विस्तार विशिष्ट अवधि के लिए हैं और इसमें सिविल कार्य पूरा करने के लक्ष्य शामिल नहीं हैं, हालाँकि पर्यावरणीय समाशोधन जारी करते समय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष परियोजना के पूरा होने पर चर्चा की जाती है। मैनेजमेंट ने कहा कि MoEFCC ने 26 अगस्त, 2021 को परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाशोधन जारी किया।

23. **डराना-धमकाना और मारपीट।** डराने-धमकाने और मारपीट के दावों के संबंध में, जो पैनल के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, मैनेजमेंट ने कहा कि इन चिंताओं को पहली बार दिसंबर 2021 में उनके सामने पेश किया गया था। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि उसने इन चिंताओं को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु THDC के वरिष्ठ प्रबंधन के सामने पेश किया।

पैनल के अवलोकन और दृढ़ संकल्प

24. पैनल ने परियोजना की 2014 की जाँच के खिलाफ मौजूदा दावों की समीक्षा करते हुए अनुरोध का आंकलन किया। पैनल ने नोट किया कि 2014 की जाँच में गांव के पुनःस्थापन, आजीविका की बहाली और आजीविका पुनर्वास पैकेज के मुद्दों को संबोधित किया गया था। इस जाँच ने महिलाओं के संबंध में लिंग-विशिष्ट प्रभाव, आजीविका और सुरक्षा मामलों के मुद्दे को भी संबोधित किया। पैनल समझता है कि प्रख्यात डोमेन के ज़रिये गांव का अधिग्रहण किया गया था, और समुदाय ने खुद अपने पसंदीदा क्षेत्रों में स्व-स्थानांतरण का विकल्प चुना। यह जाँच रिपोर्ट में नोट किया गया था, जिसमें देखा गया था कि गांव के 92 प्रतिशत परिवारों ने अलकनंदा नदी के दूसरी तरफ स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। पैनल ने नोट किया कि अनुसूचित जनजाति का पुनःस्थापन परियोजना द्वारा पहचाना और शुरू किया गया था। पैनल ने नोट किया कि कूड़ा-करकट फेंकने के लिए गांव का अधिग्रहण करने का उद्देश्य पहले से ज्ञात था और 2014 की जाँच रिपोर्ट में उल्लिखित था। पैनल ने नोट किया कि 2014 की जाँच ने परियोजना के लिए पर्यावरण के मूल्यांकन में प्रदान की गई जानकारी पर रिपोर्ट की, जिसमें उस क्षेत्र में अलकनंदा नदी के बाएं और दाएं दोनों किनारों के 23 गांवों के लिए पेयजल स्रोतों को शामिल किया गया था और यह नोट

[6]पंचायत एक ग्राम परिषद है।

किया गया था कि 23 में से छह गांव उन 18 गांवों के साथ ओवरलैप करते हैं जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र का हिस्सा हैं।

25. पैनल ने नोट किया कि 2014 की जाँच में लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को संबोधित किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि मंदिर एक *स्वयंप्रकट* मंदिर है, जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्थल स्वयं पवित्र है। 2014 की जाँच में परियोजना अधिकारियों द्वारा पैनल के लिए की गई प्रतिबद्धताओं को देखा गया है कि परियोजना निर्माण के दौरान मंदिर के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करने, अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर लोगों के लिए मंदिर में पूजा करने हेतु एक सस्पेंशन पुल बनाने जैसे अतिरिक्त सुधार करने, और परियोजना गतिविधियों के समाप्त होने के बाद मंदिर के आसपास के क्षेत्र को सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक पार्क के रूप में विकसित करने का इरादा रखती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मैनेजमेंट ने पैनल को पुष्टि की कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अभी भी उचित भूनिर्माण के साथ दुबारा हरा-भरा कर दिया जाएगा। पैनल ने मंदिर के लिए सुरक्षित एक्सेस और मंदिर की सुरक्षा के संबंध में अनुरोधकर्ताओं की चिंताओं को भी नोट किया। पैनल ने नोट किया कि मंदिर की दीवार के पीछे कूड़ा-करकट नहीं फेंका जाएगा और THD मंदिर से और ज़्यादा दूरी पर गांव में वैकल्पिक कूड़ा-करकट फेंकने के स्थलों की तलाश करेगा। पैनल आगे नोट करता है कि सुरक्षात्मक उपाय फिलहाल लागू किए जा रहे हैं।

26. पैनल मैनेजमेंट से समझता है कि पर्यावरणीय समाशोधन के समय परियोजना स्थल पर सभी कार्यों का समग्र समापन (जिसमें सिविल, साइटों, बुनियादी ढाँचे, हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की स्थापना और अन्य शामिल हैं) 53 प्रतिशत था, और इस पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष चर्चा की गई थी जो पर्यावरणीय समाशोधन प्रदान करती है।

27. अनुरोध प्राप्त होने के बाद, पैनल ने पैनल संकल्प के पैराग्राफ 13 से 15 के आधार पर अपना प्रारंभिक उचित परिश्रम किया और निम्न का सत्यापन किया:

- दो या ज़्यादा व्यक्तियों, इस मामले में परियोजना क्षेत्र में रहने वाले और परियोजना गतिविधियों से प्रभावित होने का दावा करने वाले 115 समुदाय के सदस्यों, ने अनुरोध पर हस्ताक्षर किए।
- अनुरोधकर्ता अपने गांव में परियोजना के कार्यों के कारण वास्तविक या संभावित नुकसान का आरोप लगाते हैं जो VPHEP के पहले घटक का हिस्सा हैं, जिसे बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- बैंक को इन मुद्दों की पूर्व जानकारी थी। इसलिए पैनल संतुष्ट है कि निरीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले हाल ही में इन मुद्दों को बैंक के सामने पेश किया गया है।
- अनुरोध में उठाई गई चिंताएँ वसूली से संबंधित नहीं हैं।
- अनुरोध प्राप्त होने के समय, परियोजना चालू थी, और 35.21 प्रतिशत हो चुका था।
- इस अनुरोध में उठाई गई चिंताओं - पुनःस्थापन, पुनर्वास और भौतिक सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सहित - परियोजना के पहलुओं से संबंधित हैं जिन्हें 2014 की जाँच में संबोधित किया गया था। पैनल मैनेजमेंट के इस बयान को भी नोट करता है कि गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य छोटे सामुदायिक मंदिरों की रक्षा की जाएगी, कूड़ा-करकट मंदिर से और ज़्यादा दूरी पर फेंका जाएगा, और निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर के पास मौजूद भूमि को अंततः भूनिर्माण के

साथ दुबारा हरा-भरा किया जाएगा। इसी तरह की प्रतिबद्धता परियोजना अधिकारियों द्वारा भी की गई थी और 2014 की जाँच रिपोर्ट में शामिल की गई थी। पैनल ने नोट किया कि उधारकर्ता से प्रासंगिक पर्यावरणीय समाशोधन अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाई गई थी और पैनल संतुष्ट है कि इस मुद्दे को पहले ही संबोधित किया जा चुका है और अगस्त 2021 में परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

28. पूर्वगामी और पैनल संकल्प और इसकी संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, और मौजूदा अनुरोध पर अपना समीक्षा करने के बाद, पैनल ने नोट किया कि इस अनुरोध में उठाई गई चिंताएँ 2014 में पहले से ही जाँच किए गए मुद्दों से संबंधित हैं जब पैनल को पिछला अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसलिए, जैसा कि निरीक्षण पैनल संकल्प के तहत आवश्यक है, उन्हें नए साक्ष्य के रूप में जो पूर्व अनुरोध के समय ज्ञात नहीं थे, नहीं माना जा सकता है। इसके आधार पर, पैनल इस अनुरोध को पंजीकृत नहीं कर रहा है।

भवदीय,

रमनी कुनानायगम
अध्यक्ष

संलग्न:
निरीक्षण के लिए अनुरोध (संशोधित)

इन्हें कॉपी भेजी जाएगी:
श्री डेविड मलपास, अध्यक्ष, इंटरनैशनल बैंक फौर रीकंस्ट्रक्शन ऐंड डैवलपमैंट

अनुरोधकर्ता (गोपनीय)